न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/07

गोविन्द लाल पुत्र धल्ला जी कहार निवासी बाडी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. रूस्तम अली पुत्र श्री मोहम्मद वजीर निवासी संजय नगर बाडी भीमपुरा ।
2. गंगाकिशन पुत्र तालू जी माली निवासी बाडी भीमपुरा ।
3. साबिर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी विज्ञान नगर कोटा दुकान फॉरवर्ड टेलर गुमानपुरा पैट्रोल पम्प के सामने जोधपुर कचौरी वाले के पास कोटा ।
4. देवकरण पुत्र श्री भैरिया माती निवासी ग्राम भीमपुरा हाल निवासी मकान नं0 179, बालाजी नगर, नगरपालिका के सामने रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर मिन 613/2 पूर्वी रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 620/2 पूर्वी रकबा 0.19 हैक्टर कुल तीन किता रकबा 0.36 हैक्टर तथा आराजी खसरा नम्बर 611 चाह रकबा 0.02 हैक्टर में अपना 1/5 बताते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.06.2016 के द्वारा सीपीसी के आदेश 10 के तहत सुनना अंकित करते हुए वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 गोविन्द लाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 12.07.2013 के पूर्व से ही अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 4 का कब्जा खातेदार द्वारा दिया जा चुका था । इस पर भी उक्त तथ्यों को छुपाकर वाद निर्णित करवाया गया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील की नियुक्ति कर रखी थी और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया तथा आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं है । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.11.2017 को अपीलान्ट प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी लेने गया तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा सन् 1998 में प्राप्त किया था तब से ही इस पर निरन्तर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 26.05.2016 को अगाामी तिथि 29.06.2016 जिरह साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 21.06.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी की पालना नहीं की गई है । मौके की स्थिति की जॉच किये बिना ही यह निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा क्रय किया गया है । रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा सन् 2013 में पेश किया था । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट हैं इस पर कब्जा करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । अपील अवधि वाधित है और विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताएं हैं । अभिभाषक का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.09.2015 के अनुसार पत्रावली तनकीयात कायमी में रखी गई । पत्रावली जिरह साक्ष्य वादी में लम्बित थी इसमें दिनांक 29.06.2016 की आगामी तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 21.06.2016 को इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान की ओर से कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया गया है और इसी दिन दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा